

संचालनालय, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी, (आयुष) छत्तीसगढ़

ब्लॉक-1, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर 492002
फोन नं. (0771) 2221640, फैक्स - 2221641, ईमेल - cgayush@gmail.com

क्रमांक STU-47/13/202/UG Admission

नवा रायपुर, दिनांक

-:: सूचना ::-

शैक्षणिक सत्र 2025-26 में आयुष स्नातक पाठ्यक्रमों (बी.ए.एम.एस./ बी.एच.एम.एस./बी.एन.वाय.एस.) में प्रवेश हेतु जारी शेड्यूल अनुसार आबंटन पत्र जारी किया जावेगा।

अतः अभ्यर्थी मूल दस्तावेजों के संवीक्षा हेतु महाविद्यालय की प्रथम वर्ष की शैक्षणिक शुल्क सहित आवश्यक सभी वांछित मूल दस्तावेज एवं दो सेट छायाप्रति तैयार रखें।

शैक्षणिक शुल्क की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	शैक्षणिक शुल्क
1	श्री नारायण प्रसाद अवस्थी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)	रु. 26,000/- (UR, EWS & OBC) रु. 16,000/- (ST & SC)
2	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)	
3	राजीव लोचन आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, चन्द्रखुरी, दुर्ग (छ.ग.)	रु. 1,34,700/-
4	छत्तीसगढ़ आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, मनकी, राजनांदगांव (छ.ग.)	रु. 1,34,700/-
5	भारती आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्साल, पुलगांव चौक, दुर्ग (छ.ग.)	रु. 1,34,700/-
6	महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साईंस, ग्राम-सुन्दरा, राजनांदगांव (छ.ग.)	रु. 1,36,000/-
7	रायगढ़ मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद, कोटारलिया, रायगढ़ (छ.ग.)	रु. 1,34,700/-
8	चौकसे कॉलेज ऑफ आयुर्वेद रिसर्च सेंटर एण्ड हॉस्पिटल, बिलासपुर (छ.ग.)	रु. 1,34,700/-
9	रायपुर होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, रामकुंड रायपुर (छ.ग.)	रु. 70,000/-
10	श्री महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय, नगपुरा, दुर्ग (छ.ग.)	रु. 65,800/-
11	रायगढ़ कॉलेज ऑफ नेचरोपैथी, कोतरापाली, रायगढ़ (छ.ग.)	रु. 65,800/-

अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ आयुष स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2023 के नियम 10.(2) के अनुसार निम्नलिखित क्रम में आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें:-

1. सीट आबंटन पत्र (Seat Allotment Letter)
2. प्रवेश परीक्षा (NEET) का प्रवेश पत्र। (बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम को छोड़कर)
3. प्रवेश परीक्षा (NEET) की अंक सूची। (बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम को छोड़कर)
4. दसवीं की मूल अंकसूची।
5. बारहवीं की मूल अंकसूची।
6. परिचय पत्र (Identity Card) जैसे:- आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, मतदाता पत्र, पासपोर्ट।
7. निवास प्रमाण पत्र।
8. स्थायी जाति प्रमाण पत्र (नियम 4 (2) के अनुसार)।
9. अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु स्थायी जाति प्रमाण पत्र सहित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विगत तीन वर्षों में से कोई एक वर्ष का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। केवल माता का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में पिता का कोई आय नहीं होने अथवा पिता के जीवित नहीं होने अथवा पिता के साथ नहीं रहने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. छत्तीसगढ़ राज्य के संभागीय/जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी शारीरिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र (नियम 4 (3) के अनुसार)।
11. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र। (नियम 4 (3) के अनुसार)
12. सैनिक संवर्ग हेतु जिला सैनिक कल्याण अधिकारी का प्रमाण पत्र (नियम 4 (3) के अनुसार)।
13. ई.डब्ल्यू.एस. (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) अभ्यर्थी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम “आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र”।
14. अल्पसंख्यक होने का प्रमाण पत्र (नियम 4 (1) (घ) के अनुसार)।
15. अभ्यर्थी के अध्ययन में यदि व्यवधान हो तो तत्संबंधी कारण बताते हुए नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र (गैप सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह भी स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि उक्त अवधि में अभ्यर्थी किन्हीं गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहा है।
16. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (Transfer Certificate)
17. चरित्र प्रमाण-पत्र (Character Certificate)
18. प्रवर्जन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate)
19. गैप प्रमाण-पत्र (Gape Certificate)
20. चिकित्सकीय उपयुक्तता प्रमाण-पत्र (Medical Fitness)

दस्तावेज परीक्षण हेतु निर्धारित तिथि/समय पर उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।

Digitally signed by
SHIKHA RAJPUT TIWARI
Date: 03-10-2025
15:54:07

(शिखा राजपूत तिवारी) आई.ए.एस.
आयुक्त
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी,
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़